न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर०ए०एस

मुकदमा नं० 27/2025

नाथुलाल पुत्र गिरधारी, जाति कुम्हार, निवारी ग्राम आसलपुर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
--प्रार्थी

बनाम

1. पन्नालाल पुत्र रामदेव
2. बंशीलाल पुत्र रामदेव

नि0 ग्राम गुढा बेरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज.।
--अप्रार्थीगण

3. कैलाश चन्द पुत्र पांचूलाल
4. केसरमल पुत्र जगन्नाथ
5. चौथमल पुत्र जगन्नाथ
6. छोटूराम पुत्र जगन्नाथ
7. छोटी देवी पत्नी पांचूलाल
8. तीजा देवी पत्नी ओमप्रकाश
9. नन्दलाल पुत्र रामेश्वर
10. नारायणी देवी पत्नी श्री श्रवण लाल
11. नितेश पुत्र ओमप्रकाश
12. पार्वती पुत्री ओमप्रकाश
13. भुवाना पुत्री गिरधारी
14. मूलचन्द पुत्र जगन्नाथ
15. मांगीलाल पुत्र पांचूलाल
16. रतनलाल पुत्र रामेश्वर
17. रविन्द्र पुत्र ओमप्रकाश नाबालिग जरिये प्राकतिक संरक्षिका माता तीजा देवी
18. सरिता कुमावत पुत्री पांचूलाल

निवासीयान– ग्राम आसलपुर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
--प्रोफार्मा अप्रार्थीगण

19. तहसीलदार जोबनेर, जिला जयपुर।
20. पटवारी हल्का आसलपुर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1. श्री सुरेश कुमार शर्मा वकील प्रार्थीगण

2. श्री ललीत कुमार शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2

दिनांकः— 15.12.2025

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम आसलपुर पटवार हल्का आसलपुर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आसलपुर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1270/3 रकबा 3.6671 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 3.6671 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है। तथा वाके ग्राम आसलपुर पटवार हल्का आसलपुर तहसील जोबनेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1264/2 रकबा 0.6196 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1269/2 रकबा 3.1888 हैक्टेयर स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1270/3 में आने जाने का कोई रिकॉर्ड अनुसार रास्ता नहीं है अभी तक प्रार्थी पडौसी खातेदारों की सहमति से अपनी खातेदारी भूमि में आ जा रहा है प्रार्थी के साथ साथ आस पास के समस्त खातेदारान आपसी सहमति के अनुसार एक दूसरे के खेतो में से आ जा रहे है। परन्तु आराजी में आने जाने हेतु कोई भी स्थाई व राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को आने जाने में भारी असुविधा का सामना करना पडता है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 1270/3 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 1269/2 रकबा 3.1888 हैक्टेयर की भूमि में से आ जा रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1270/3 व आम रास्ते के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 1269/2 स्थित है जिसमें से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार ए टू बी रास्ता 1000 फीट लम्बा व 16 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 18 को प्रोर्फामा पक्षकार बनाया है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा अप्रार्थी संख्या 19 लैण्ड होल्डर है जो प्रार्थना पत्र के लिए आवश्यक पक्षकार है इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 20 पटवार हल्का है जो प्रार्थना पत्र के लिए आवश्यक पक्षकार है इस कारण इन्हे प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 1269/2 में से उत्तरी पूर्वी सीमा से नजरीय नक्शे में वर्णितानुसार ए टू बी रास्ता 1000 फीट लम्बा व 16 फीट चौडा रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे के अनुसार अथवा श्रीमान जैसा उचित समझे प्रार्थी को रास्ता दिलवाया जाकर

Neha
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कानून के अनुसार राजस्व मानचित्र में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अंकन किया जावे तथा अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थी के हक में समझे अता फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7,8,11,12,17,18 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 लगा0 6, 9,10, 13 लगा0 16 मय अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आए। अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 6, 9,10, 13 लगा0 16 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार जोबनेर के पत्रांक 1934 दिनांक 28.05.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उक्त मौका रिपोर्ट पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा आपत्ति इस आशय की पेश कि गयी कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता बरसों पूर्व से चालू रास्त है, की लम्बाई 257 मीटर बताई है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता बरसों पूर्व से चालू रास्ता है। परन्तु पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा बंद रास्ते ई से डी को बताया गया है तथा नजदीक बताया गया है जो रास्ता की भी आम रास्ते से लगता हुआ नहीं है। इसलिए मौका रिपोर्ट दुबारा मंगवाया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त आपत्ति प्रार्थना का जवाब इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दोबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र चाही है व गलत तथ्यो पर आधारित होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी की प्रार्थना अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य नही है। प्रार्थी ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे मे बताये मार्ग डी से ई स्थान का जो रास्ता 223 मीटर होना अंकित किया है एवं उक्त रास्ते को वैकल्पिक रास्ते के रूप में नजदीक का रास्ता होना बताया है वह सही है। प्रार्थी ने उक्त दर्शाये रास्ते के बाबत् अपने प्रार्थना पत्र में जो अंकन आम रास्ते से लगता हुआ नहीं होना अंकित किया है वह सर्वथा गलत अंकित है क्योकि मार्क डी स्थान से ई स्थान पर जो रास्ता वैकल्पिक दर्शाया गया है वह मूल खसरा नम्बर 1558/1269 जो मुख्य सडक से लगवा है से दर्शाया है उक्त भूमि खसरा नम्बर 1558/1269 स्वयं प्रार्थी नाथूलाल पुत्र गिरधारी व अन्य सह खातेदारो की भूमि है। जिसमे प्रार्थी नाथू लाल पुत्र गिरधारी लाल का 1/4 हिस्सा खातेदार के रूप में दर्ज है जो मुख्य सडक से लगवा होने के कारण प्रार्थी के कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1270/3 रकबा 3.6071 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा खातेदार के रूप मे दर्ज है उक्त भूमि में पहुंच हेतु रास्ते की मांग की है जो वैकल्पिक नजदीकी रास्ते के तथ्यों को छुपाते हुये मात्र अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 को परेशान करने की नियत से जानबूझकर गलत रूप से अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

की मांग की गई है जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1270/3 पर पहुंच हेतु सबसे नजदीक व सुगम रास्ता उसके उत्तर–पूर्व के खसरा नम्बर 1559/1272, खसरा नम्बर 1562/1272 व 1571/2 से होकर रास्ता, जो सबसे नजदीक का रास्ता है और राज्य सरकार के द्वारा पारित प्रावधान 251ए रा०टी०एक्ट की मंशा भी यही दर्शाती है कि काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच हेतु सबसे नजदीकी रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1270/3 के पूर्व दिशा की लगवा भूमि खसरा नम्बर 1559/1272 जो स्वयं प्रार्थी के सह खातेदारान् नन्दलाल पुत्र रामेश्वर एवं रतनलाल पुत्र रामेश्वर कुमावत की खातेदारी भूमि से आगे उत्तर दिशा में स्थित खसरा नम्बर 1562/1272 व 1271/2 जो मुख्य सडक की लगवा भूमि है से ही प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं० 9 व 16 नन्दलाल, रतनलाल पुत्रान् रामेश्वर को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1270/3 पर जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता होने से उक्त वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित है एवं इसी परिपेक्ष्य मे नजदीकी वैकल्पिक रास्ते हेतु खसरा नम्बर 1559/72, 1562/1272, 1271/2 की ओर से रास्ते की रिपोर्ट मंगवाया जाना प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक होने से उक्त रिपोर्ट न्यायहित मे मंगवायी जावे। अतः अप्रार्थी सं० 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त कथन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी की ओर से सुझाये गये वैकल्पिक रास्ते बाबत् खसरा नम्बर 1559/1272, 1562/1272, 1271/2 वाके ग्राम आसलपुर के बावत् मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने के आदेश प्रदान फरमाये जावे जिसमे चाही गई मंशा अनुरूप नजदीकी रास्ते की स्थिति स्पष्ट हो सके एवं मान्य न्यायालय द्वारा रिपोर्ट अवलोकन कर प्रकरण मे न्यायोचित निर्णय पारित किया जा सके।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र सुनी गयी तथा तहसीलदार जोबनेर से पुनः रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 08.10.2025 को इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अन्य खातेदारी भूमि में से होते हुए रास्ता उपलब्ध है। नजरी नक्शे अनुसार बिन्दू 'ए' से 'बी' व 'सी' तक मौके पर रास्ता चालू है। जो आराजी ख0नं0 1269/2 में से जाता है। जो की खातेदारी भूमि है। वादी द्वारा आवागमन हेतु इसी रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। मौके पर ख0नं0 1269/2 भूमि आसलपुर जोबनेर महला सडक पर स्थित है। जिसका ख0नं0 266 किस्म गै0मु0 सडक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी द्वारा ख0नं0 1269/2 की पूर्वी सीमा पर 16 फुट चौडा रास्ता चाहा है जो कि मौके पर बिन्दू 'ए' से 'बी' तक रास्ते की चौडाई 3.7 मीटर है। क्योंकि रास्ते के दोनों तरफ पक्के मकान बने हुए है। प्रार्थीगण वर्तमान में इसी रास्ते का उपयोग कर रहे है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में ख0नं0 1270/3 पर पहुंच का नजदीकी वैकल्पिक रास्ता बिन्दू 'डी' से 'ई' को बताया है बिन्दू 'डी' से 'ई' तक आने वाले

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

ख0नं0 1271/2, 1562/1272 व 1559/1272 का मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि ख0नं0 1562/1272 में पक्का मकान व फार्म पोण्ड बना हुआ है। बिन्दू 'डी' से 'ई' की कुल लम्बाई 219 मी0 है। जो कि पुख्ता निर्माण के कारण रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों का ही दौहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण पूर्व से ही आवागमन हेतु चाहे गये रास्ते का उपयोग करते आ रहे है तथा यही रास्ता प्रार्थीगण के अपनी आराजीयात में पहुंच हेतु सुगम व सुविधाजन है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1270/3 रकबा 3.6071 हैक्टेयर में पहुंच हेतु रास्ते की मांग की है जो वैकल्पिक नजदीकी रास्ते के तथ्यों को छुपाते हुये मात्र अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 को परेशान करने की नियत से जानबूझकर गलत रूप से अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ते की मांग की गई है जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1270/3 पर पहुंच हेतु सबसे नजदीक व सुगम रास्ता उसके उत्तर–पूर्व के खसरा नम्बर 1559/1272, खसरा नम्बर 1562/1272 व 1571/2 से होकर रास्ता, जो सबसे नजदीक का रास्ता है और राज्य सरकार के द्वारा पारित प्रावधान 251ए आर0टी0ए0 की मंशा भी यही दर्शाती है कि काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच हेतु सबसे नजदीकी रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभयपक्षकारान की बहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी 1270/3 रकबा 3.6671 हैक्टेयर में आ.0ख0नं0 1269/2 से पहुंचने हेतु रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार जोबनेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अन्य खातेदारी भूमि में से होते हुए रास्ता उपलब्ध है। नजरी नक्शे अनुसार बिन्दू 'ए' से 'बी' व 'सी' तक मौके पर रास्ता चालू है। जो आराजी ख0नं0 1269/2 में से जाता है। जो की खातेदारी भूमि है। वादी द्वारा आवागमन हेतु इसी रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। मौके पर ख0नं0 1269/2 भूमि आसलपुर जोबनेर महला सडक पर स्थित है। जिसका ख0नं0 266 किस्म गै0मु0 सडक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी द्वारा ख0नं0 1269/2 की पूर्वी सीमा पर 16 फुट चौडा रास्ता चाहा है जो कि मौके पर बिन्दू 'ए' से 'बी' तक रास्ते की चौडाई 3.7 मीटर है। क्योंकि रास्ते के दोनों तरफ पक्के मकान बने हुए है। प्रार्थीगण वर्तमान में इसी रास्ते का उपयोग कर रहे है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में ख0नं0 1270/3 पर पहुंच का नजदीकी वैकल्पिक रास्ता बिन्दू 'डी' से 'ई' को बताया है बिन्दू 'डी' से 'ई' तक आने वाले ख0नं0 1271/2, 1562/1272 व 1559/1272 का मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि ख0नं0 1562/1272 में पक्का

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

मकान व फार्म पोण्ड बना हुआ है। बिन्दू 'डी' से 'ई' की कुल लम्बाई 219 मी0 है। जो कि पुख्ता निर्माण के कारण रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।

उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौका अनुसार प्रार्थीगण को आराजी खसरा नंबर 1562/1272 में पक्का निर्माण होने के कारण रास्त दिया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता ही मौके की स्थिति अनुसार सुगम एवं सुविधा जनक रास्ता यही है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को आ0ख0नं0 1269/2 में से रास्ता दिया जाना सरल एवं सुगम प्रतीत होता है। जिसकी कुल लम्बाई 257 मीटर है। चाहे गये रास्ते का कुल क्षेत्रफल लगभग 0.1154 है0 है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बर 1270/3 तक पहुंच हेतु मौका रिपोर्ट दिनांक 08.10.2025 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1269/2 में से होकर 257 मीटर लम्बाई का रास्ता करेगे। तहसीलदार जोबनेर रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के बदले में उतनी ही भूमि प्रार्थीगण की आराजीयात खसरा संख्या 1270/3 में से कम कर के प्रार्थीगण के हिस्से में दर्ज करेगें। तथा उक्त भूमि अप्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नं0 1269/2 के लगवा अप्रार्थीगण को प्रदान करेगें। तहसीलदार जोबनेर राजस्व रिकार्ड में दिनांक 08.10.2025 एवं मौका नक्शा अनुसार गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज करेगें। यह रास्ता सार्वजनिक प्रयोग का रहेगा। तहसीलदार जोबनेर की रिपोर्ट दिनांक 08.10.2025 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नेहा [illegible] (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner